

2011/00010

①

(8m)

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
21/2011	88, 89, 91, 188 (क)	खोखर	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
सन्तोष	बनाम	अनवर मीर	
अभिभाषक वादी	उपस्थिति	अभिभाषक प्रतिवादी	
Sh. B. K. B. Adv.		Sh. A. H. A. Adv. 2, 3	
प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक	दाखिला दफतर	पृष्ठ संख्या
21-2-11	29/5/15		
कार्यवाही दिनांक			
सम्पन्न तामिली	जवाब वाद/प्रार्थना पत्र	विवादक निर्धारण	विविध प्रार्थना पत्र
16-3-11	17-7-12	17-6-13 29-10-15	29/5/15
26-4-11	6-8-12	22-7-13 20-4-15	1/2 शान्तिवादी
31-5-11	17-9-12	27-8-13 28-5-15	1/2 शान्तिवादी को
6-7-11	20-11-12	18-9-13	
24-8-11	7-1-13	12-11-13	
12-10-11	28-1-13	23-12-13	
28-11-11	11-3-13	11-3-14	
28-2-12	15-4-13	29-4-14	
29-2-12	20-5-13	2-6-14	
17-4-12		1-7-14	
30-5-12		13-8-14	
		15-9-14	
साक्ष्य वादी	साक्ष्य प्रतिवादी	बहस	
अंतरिम एक पक्षीय निपेधाज्ञा		प्राथमिक डिक्री	
स्थगन वादी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	स्थगन प्रतिवादी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6727

क्र. 104

Total (51)

डिक्री

दिनांक	21/11	धारा अंतर्गत	88, 69, 81, 188, 177A	निर्णय दिनांक	22.5.15
किस-:	श्री चिमन लाल शर्मा R.S.				
स्थिति:-	अभिभाषक वादी	-	अभिभाषक प्रतिवादी	-	

वाद शीर्षक

सन्तोषवर्मा पत्नी रामकल्याण जतिश्रीश मिश्रा श्री शंकर
तहसील छबड़ा जिला- बारां (राज.) (वादी)

- (1) खानवर 80 रूफ्तुला (2) मोहनप्रद वसीम रूफ्तुला खेत
- (3) मोहन वसीम रूफ्तुला खेत (4) जतिश्रीश मिश्रा खेत
- (5) रशीकुला रूफ्तुला इफिम उरुफ्तुला उरुफ्तुला जति-उरुफ्तुला
जिला- बारां (राज.)
- (6) सरकाड जति तहसील डार छबड़ा (जितवादीभाग)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

राजस्व लोक न्यायालय के कर्णकोई गुरगोर मजमे जितम वादी का
वाद स्वीकार किया जाता है, राम. शंकरवर्मा तहसील छबड़ा
खसरा नम्बर 184/34 रकबा 15 बीघा में दर्ज खसरा के काई
हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/2 दर्ज करने हेतु तहसील डार छबड़ा
को कोदेशित किया जाता है, जितवादी गण को स्वार्थ-विषयका
से वाद-रुद्ध किया जाता है कि यदि रदन लेचान-हस्तान्तरण नहीं
करे, फलतः वादिका को 1/2 हिस्से का स्वतंत्र अधिकार घोषित किया जाता है।

साथ ही निम्नानुसार..... रु. का व्ययानुतोष..... द्वारा..... को प्रदान किया जाए
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक..... 22-5-15..... को निर्गत किया गया।

22/5/15
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)
छबड़ा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	व्याज(%)		
	योग		